न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2021

प्रार्थी–

नवल किशोर पुत्र दलाराम
जाति जाट निवासी हुडो का
तला, तहसील नोखड़ा जिला
बाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत नोखड़ा जरिये सरपंच
   ग्राम पंचायत नोखड़ा तह. नोखड़ा
   जिला बाड़मेर
2. गणेशाराम पुत्र शेराराम फौत के
   कायम मुकाम
   2/1 टीकूराम पुत्र गणेशाराम जाति
   जाट निवासी नोखड़ा तहसील
   गुडामालानी जिला बाडमेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 78 दिनांक 25.12.1982 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत नोखड़ा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2/1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.06.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत नोखड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ग्राम नोखड़ा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 78 दिनांक 25.12.1982 जारी किया गया। ग्राम पंचायत नोखड़ा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा भूखण्ड मौज नोखड़ा की आबादी भूमि खसरा नंबर 413/5 में नोखडा से निम्बलकोट जाने वाली ग्रेवल सड़क पर कुल 3389.38 वर्गफीट का विक्रय मोहनचंद पुत्र खंगाराराम जाति सोनी निवासी नोखडा से पंजीबद्ध विक्रय पत्र से दिनांक 10.04.2013 को किया गया, जिस पर पूर्व में मोहनचंद का पैतृक कब्जासूदा था तथा बाद खरीद प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा जिसके चारों तरफ प्रार्थी द्वारा चीणों के टुकड़ों कर बाडबंदी की हुई थी जिस पर बाद में प्रार्थी द्वारा आडेल रोड पर दुकान व चदरों का एक शेड बनाकर गैराज बनाया हुआ है। पानी का टांका व उसके पीछे बचे भुखण्ड के चारों ओर ईटों की दीवार बनाकर पक्का कब्जा किया हुआ है। विप्रार्थी संख्या 2/1 के पिता गणेशाराम ने कुटरचना करते हुए फर्जी व जाली तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त भूखण्ड के संबंध में विप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर पट्टा संख्या 78 दिनांक 25.12.1982 को जारी करवा लिया, जो नियमों व वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए मात्र कुटरचित तरीके से जारी किया है। उक्त भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा व स्वामित्व नहीं है, जो अपास्त होने योग्य है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि माननीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 02, बालोतरा में एक अन्य दीवानी मूल वाद

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

संख्या 12/2023 (125/2024) अनवान टीकमाराम बनाम नवल किशोर वगैरा में टीकमाराम के द्वारा पीडब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं की साक्ष्य के दौरान प्रदर्श 13 के रूप में पट्टे को असल पट्टे के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। नवल किशोर व अन्य ने उक्त पट्टा रंगीन प्रति होना जाहिर करते हुए प्रदर्श हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें टीकमाराम ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज रंगीन प्रति है। उक्त संबंध में आदेश 13 नियम 13 सपठित धार 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नवल किशोर का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त प्रदर्श 13 को दस्तावेज से हटाए जाने का आदेश दिया। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 78 दिनांक 25.12.1982 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया गया है।

4. अप्रार्थी सं. 2/1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि ग्राम पंचायत नोखड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 78 दिनांक 25.12.1982 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा निशुल्क जारी किया गया है। उक्त विवादित जमीन पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 2/1 का आवास बना हुआ है। उक्त विवादित जमीन मोहनलाल सोनी ने नवल किशोर के नाम पंजीबद्ध दस्तावेज करवा दिया, जिसका स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं था। अतः उक्त रजिस्ट्री फर्जी की गई है। उक्त निगरानी 40 साल बाद प्रस्तुत की गई है, इस प्रकार प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मयाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हैं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थी द्वारा भूखण्ड मौज नोखड़ा की आबादी भूमि खसरा नंबर 413/5 में नोखडा से निम्बलकोट जाने वाली ग्रेवल सड़क पर कुल 3389.38 वर्गफीट का विक्रय मोहनचंद पुत्र खंगाराराम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

जाति सोनी निवासी नोखडा से पंजीबद्ध विक्रय पत्र से दिनांक 10.04.2013 को किया गया, जिस पर पूर्व में मोहनचंद का पैतृक कब्जासूदा था तथा बाद खरीद प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा जिसके चारों तरफ प्रार्थी द्वारा चीणों के टुकड़ों कर बाडबंदी की हुई थी जिस पर बाद में प्रार्थी द्वारा आडेल रोड पर दुकान व चदरों का एक शेड बनाकर गैराज बनाया हुआ है। पानी का टांका व उसके पीछे बचे भुखण्ड के चारों ओर ईटों की दीवार बनाकर पक्का कब्जा किया हुआ है। विप्रार्थी संख्या 2/1 के पिता गणेशाराम ने कुटरचना करते हुए फर्जी व जाली तरीके से प्रार्थी के उपरोक्त भूखण्ड के संबंध में विप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर पट्टा संख्या 78 दिनांक 25.12.1982 को जारी करवा लिया, जो नियमों व वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए मात्र कुटरचित तरीके से जारी किया है। उक्त भूखण्ड पर विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा व स्वामित्व नहीं है। माननीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 02, बालोतरा में एक अन्य दीवानी मूल वाद संख्या 12/2023 (125/2024) अनवान टीकमाराम बनाम नवल किशोर वगैरा में टीकमाराम के द्वारा पीडब्ल्यू–1 के रूप में स्वयं की साक्ष्य के दौरान प्रदर्श 13 के रूप में पट्टे को असल पट्टे के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। नवल किशोर व अन्य ने उक्त पट्टा रंगीन प्रति होना जाहिर करते हुए प्रदर्श हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें टीकमाराम ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज रंगीन प्रति है। उक्त संबंध में आदेश 13 नियम 13 सपठित धार 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नवल किशोर का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त प्रदर्श 13 को दस्तावेज से हटाए जाने का आदेश दिया। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायायल राजस्थान के D.B.Civil Special Appeal (W) No. 108 of 2006 Decide on 12-02-2008 Panna Lal and ors. Vs Sushila Devi and ors तथा उच्च न्यायायल राजस्थान के S.B.Civil Writ Petition No. 10398/2024 Parwati Devi Alias Bhuri Devi W/o Late

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Devi Lal Vs Jawar Singh and ors में बताया गया है कि "पंचायत द्वारा दिए जाने वाले पट्टे के विरूद्ध कलेक्टर को सुनवाई का अधिकार नहीं है।" जबकि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायायल राजस्थान के D.B.Civil Special Appeal Writ No. 175/2020 Khushal Singh vs State of rajasthan and ors में बताया गया है कि " पंचायत द्वारा दिए जाने वाले पट्टे के विरुद्ध कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सुनवाई का अधिकार है। " अतः इस आधार पर यह निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय है। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों मे पंचायत की कार्यवाही के किसी प्रक्रम का ठोस प्रमाण प्रकट नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य न्यायालय अथवा उप पंजीयक के समक्ष उक्त पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा पंजिबद्ध कराये जाने का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है, जिसके आधार पर उसकी सत्यता एवं वैधानिकता को माना जावें। ऐसे मे ग्राम पंचायत नोखड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे आलौच्य पट्टा जारी करने मे नियमानुसार रेकर्ड संधारित कर कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है तथा अनियमित रूप से मात्र पट्टा विलेख जारी किया गया है जो अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत नोखड़ा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 78 दिनांक 25.12.1982 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत नोखड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

पंचायत निगरानी / 18 / 2021 / नवल किशोर बनाम ग्राम पंचायत नोखड़ा व अन्य

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)